

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख व साथ।																				
११.११.१५	<p style="text-align: center;">प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 94/14-15 प्रमिला देवी वनाम् अनील सिंह एवं अन्य आदेश</p> <p>आवेदिका प्रमिला देवी पति शिव कुमार सिंह, ग्राम-इस्माईलपुर पिडहो, पोस्ट-रामपुर चाय, थाना-करपी, जिला-अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर विपक्षीगण के द्वारा बेदखली को रोकने एवं भूमि की मापी कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम-इस्माईलपुर, पिडहो, थाना-करपी, थाना नं०-182, अंचल-करपी, जिला-अरवल में अवस्थित है, निम्न है:-</p> <table border="1" data-bbox="370 891 1316 1335"> <thead> <tr> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95</td> <td>419</td> <td>14 डी०</td> <td>उत्तर-राजेश्वर सिंह, दक्षिण-खरीदार, पूरब-विपक्षीगण, पश्चिम-नीज</td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>418</td> <td>13 डी०</td> <td>उत्तर-राजेश्वर सिंह, दक्षिण-खरीदार, पूरब-प्लॉट नं० 419, पश्चिम-नीज</td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>417</td> <td>12 डी०</td> <td>उत्तर-रधुवंश सिंह व यदुवंश सिंह, दक्षिण-राम कुमार सिंह, पूरब-खरीदार व नीज, पश्चिम-सूर्य दयाल साव</td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>424</td> <td>15 डी०</td> <td>उत्तर-भागरीथ सिंह, दक्षिण-राम कुमार सिंह, पूरब-राज कुमार सिंह व अवधेश सिंह, पश्चिम-पिण्ड</td> </tr> </tbody> </table> <p>वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। तदुपरान्त अनुसेवी से नोटिस तामिला किया गया और नोटिस तामिला संपुष्ट की गई। विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए और वाद की एकपक्षीय सुनवाई की गई।</p> <p style="text-align: center;">आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-</p> <p>(1) विवादित भूमि आवेदिका ने दिनांक 15.05.2013 को मुकेश कुमार पिता रामानन्द सिंह से निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है।</p> <p>(2) विवादित भूमि खरीदगी से पूर्व विक्रेता के दखल कब्जे में था तथा खरीदगी पश्चात् भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।</p> <p>(3) आवेदिका द्वारा दिनांक 24.06.2014 को अपनी भूमि ट्रैक्टर से जोताई करवा दी थी</p>	खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी	95	419	14 डी०	उत्तर-राजेश्वर सिंह, दक्षिण-खरीदार, पूरब-विपक्षीगण, पश्चिम-नीज	96	418	13 डी०	उत्तर-राजेश्वर सिंह, दक्षिण-खरीदार, पूरब-प्लॉट नं० 419, पश्चिम-नीज	94	417	12 डी०	उत्तर-रधुवंश सिंह व यदुवंश सिंह, दक्षिण-राम कुमार सिंह, पूरब-खरीदार व नीज, पश्चिम-सूर्य दयाल साव	91	424	15 डी०	उत्तर-भागरीथ सिंह, दक्षिण-राम कुमार सिंह, पूरब-राज कुमार सिंह व अवधेश सिंह, पश्चिम-पिण्ड	
खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी																			
95	419	14 डी०	उत्तर-राजेश्वर सिंह, दक्षिण-खरीदार, पूरब-विपक्षीगण, पश्चिम-नीज																			
96	418	13 डी०	उत्तर-राजेश्वर सिंह, दक्षिण-खरीदार, पूरब-प्लॉट नं० 419, पश्चिम-नीज																			
94	417	12 डी०	उत्तर-रधुवंश सिंह व यदुवंश सिंह, दक्षिण-राम कुमार सिंह, पूरब-खरीदार व नीज, पश्चिम-सूर्य दयाल साव																			
91	424	15 डी०	उत्तर-भागरीथ सिंह, दक्षिण-राम कुमार सिंह, पूरब-राज कुमार सिंह व अवधेश सिंह, पश्चिम-पिण्ड																			

4

तो विपक्षीगण दिनांक 25.06.2014 को आवेदिका को धमकी दिया था कि हमलोग खेत को कब्जा कर लेंगे जिसकी सूचना आवेदिका के पति द्वारा अनुमंडल न्यायालय में दाखिल किया गया।


(4) विपक्षीगण आवेदिका के खरीदगी भूमि को वा जवरदस्ती ट्रैक्टर से जोत दिये है। विपक्षीगण के इस कारवाई से आवेदिका को यह भय बना हुआ है कि विपक्षीगण उक्त भूमि से बेदखल कर सकते है।


उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोषों को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका ने विवादित भूमि पर दावा दिनांक 15.05.2013 के निबंधित केवाला के आधार पर किया है जो उन्होंने मुकेश कुमार पिता रामानन्द प्रसाद सिंह से प्राप्त किया है। आवेदिका के केवाला में अंकित है कि विवादित प्लॉट भू-विक्रेता को सबजज-3 गया पार्टीशन सूट संख्या 49/70 से मिला है जिसपर वे कब्जा में है। विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

अतः आवेदिका के अनुतोष को स्वीकृत करते हुए प्राधिकार विपक्षीगण को विवादित भूमि पर आवेदिका के कब्जा में ब्यवधान करने से मना करती है। साथ ही प्राधिकार अंचल अधिकारी, करपी को आदेश देती है कि वे एक माह के उपरान्त विवादित भूमि का नापी कराये। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, करपी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित


प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।


प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।